BCCI BULLETIN

Vol. 55 | January 2024 | No. 01

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार में नौवीं बार नीतीश सरकार

बिहार में दिनांक 28 जनवरी, 2024 को महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

माननीय मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्रियों सहित आठ मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री

श्री सम्राट चौधरी
माननीय उप मुख्यमंत्री

श्री विजय कु. सिन्हा
माननीय उप मुख्यमंत्री

श्री विजय कु. चौधरी
माननीय मंत्री

श्री बिजेन्द्र प्र. यादव
माननीय मंत्री

डॉ. प्रेम कुमार
माननीय मंत्री

श्री श्रवण कुमार
माननीय मंत्री

श्री संतोष कु. सुमन
माननीय मंत्री

श्री सुमित कु. सिंह
माननीय मंत्री

75वाँ गणतंत्र दिवस समारोह

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 26 जनवरी, 2024 को चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर द्वारा राष्ट्रध्वज फहराकर 75वाँ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण काफी संख्या में उपस्थित थे।

माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रियों एवं माननीय मंत्रियों को बिहार के समस्त व्यवसायी वर्ग की ओर से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की हार्दिक बधाई एवं अभिनन्दन।

– सुभाष कुमार पटवारी, अध्यक्ष

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

बिहार आईटी पॉलिसी 2024 को सरकार ने स्वीकृति दी है। इससे राज्य में आईटी, आटीइएस व इएसडीएम उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण और रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्थ होगा। इस नीति के तहत 5 करोड़ के न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली आईटी, आइटीएस एवं इएसडीएम यूनिटों को 30 प्रतिशत का एकमुश्त Support जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ तक दी जायेगी।

इस नीति के तहत सरकार लीज रेंटल सब्सिडी भी देगी। इसमें लीज पर लिये गये कार्यालय यथा व्यावसायिक स्थल से संचालित होने वाली आईटी इकाइयों को वार्षिक लीज किराये (Rental) की राशि का 50 प्रतिशत रेंटल प्रोत्साहन पॉच वर्षों तक प्रतिपूर्ति के रूप में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बिजली टैरिफ के भुगतान पर भी आईटी इकाइयों को 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति पॉच वर्षों तक किये जाने का प्रावधान है। **बिहार आईटी पॉलिसी 2024, आईटी उद्योगों के लिए मेरी समझ से अच्छा रहेगा और आईटी यूनिट बिहार में स्थापित होंगे।**

बीमा कम्पनियों और बीमाधारकों के बीच विवाद को सुलझाते हुए उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय दिया है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है बीमा पॉलिसी उसी तिथि से प्रभावी मानी जायेगी, जिस तारीख को उसे जारी किया गया। चाहे उसे पिछली तारीख से खरीदा गया हो। **शीर्ष अदालत ने माना कि पॉलिसी जारी करने की तारीख ही सभी उद्देश्यों के लिए प्रांसगिक और प्रभावी तारीख होगी।**

सरकार ने कारोबारियों के लिए नई सुविधा की शुरूआत की है जिसके तहत कारोबारी अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी जीएसटी का भुगतान कर सकेंगे। जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने इस सेवा को सक्रिय कर दिया है। अभी यह सुविधा 10 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध करायी गयी है। जीएसटी चलान बनाते समय कारोबारियों को जीएसटी भुगतान का तरीका चुनना होगा। इसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड का विकल्प भी जोड़ दिया गया है। बाद में यह सेवा सभी राज्यों में विस्तारित कर दी जायेगी। अभी व्यापारी ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरह से भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीकों में नेट बैंकिग, आईएमपीएस और यूपीआई शामिल है।

राज्य में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने एक प्रारंभिक रणनीति तैयार कर ली है। उद्योग विभाग ने गरीब को रोजगार दिलाने के लिए तत्काल 1250 करोड़ रूपये स्वीकृत कर दिये हैं। इसमें चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ और आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांकेतिक तौर पर 1000 करोड़ रूपये स्वीकृति किये है। यह समूची राशि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत खर्च की जायेगी। बिहार लघु उद्यमी योजना राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। उद्योग विभाग बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत आर्थिक उत्थान के लिए विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इस योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों से ऑनलाईन आवेदन की मांग की जायेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल या इसी प्रकार के पोर्टल का उपयोग होगा। **सरकार की इस योजना के मूर्त रूप लेने से गरीब परिवारों का कल्याण होगा।**

खुशी की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है एवं श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2024 को हो गयी। श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या विश्व का बड़ा धर्म स्थल होगा और बड़ी संख्या में देश-विदेश के पर्यटकों एवं धर्मावलंबियों का आना-जाना लगा रहेगा। सीतामढ़ी जिला माता सीता की जन्मस्थली होने के कारण पर्यटक उस पवित्र स्थल का भी दर्शन करना चाहेंगे। **अतः अयोध्या की तरह सीतामढ़ी को भी विकसित किया जाना चाहिए।**

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व एयरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि सीतामढ़ी में नये एयरपोर्ट का निर्माण कर हवाई मार्ग से जोड़ा जाए।

बिहार में बिजली महंगी हो या नहीं, उसके लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने जनसुनवाई शुरू कर दी है। **चैम्बर का मानना है कि SBPDCL और NBPDCL जब दोनों कम्पनी मुनाफे में चल रही है तो बिजली की दर को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। चैम्बर की ओर से जन सुनवाई के दौरान बिजली के दरों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव का विरोध किया जायेगा। वैसे BERC क्या निर्णय लेता है वह जन सुनवाई के बाद पता चलेगा।**

7 जनवरी, 2024 को मैं और चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल जी मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 26वें वार्षिक पद स्थापन- सह-सम्मान समारोह में शामिल हुए। माननीय बिहार विधान पार्षद श्री ललन सराफ जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। **मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यह कार्यक्रम काफी अच्छा था। संबंधित रिपोर्ट इसी बुलेटीन में आपकी सूचनार्थ प्रकाशित है।**

बिहार सरकार ने स्थानीय निकायों द्वारा होटल उद्योग को बढ़ावा देने की पहल की है। आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम में संशोधन करते हुए अतिथि सत्कार क्षेत्र में जन-निजी भागीदारी (PPP) के प्रोत्साहन की मंजूरी दी है। इस संशोधन के बाद अब होटल भी पीपीपी मोड में खुल सकेंगे। आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम 2006 की धारा 16 एवं 17 की शक्तियाँ आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को दी गयी है। इसके बाद शहरी स्थानीय निकाय जन निजी भागीदारी के तहत आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में प्रस्ताव मांग सकते हैं।

राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर होटल को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की घोषणा कर चुकी है। **नई पर्यटन नीति के तहत 10 करोड़ तक की योजना लगाने पर 3 करोड़ की कैपिटल निधि इंसेटिव के तौर पर दी जायेगी। 50 करोड़ तक की परियोजना पर 10 करोड़ तक का अनुदान एवं 50 करोड़ से अधिक 100 करोड़ के बीच कोई निवेश करते हैं तो 25 करोड़ रूपये तक का अनुदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।**

पटना और दुमका के बीच किउल, भागलपुर के रास्ते एक नयी ट्रेन ''पटना-दुमका एक्सप्रेस'' का परिचालन 24 जनवरी, 2024 से शुरू हो रहा है। **इस ट्रेन के चालू होने से आम लोगों, विशेषकर व्यावसायियों को काफी फायदा होगा और चैम्बर की लंबित मांग की पूर्ति होगी।**

सादर,

आपका
सुभाष पटवारी

नई सरकार से बहुत उम्मीद जल्द ले आएगी क्रय नीति

बिहार में नई सरकार के गठन से उद्योग जगत को कई उम्मीदें जगीं हैं। हालांकि, उद्यमी यह भी बताते हैं कि सरकार वही है, केवल मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। ऐसे में व्यापक परिवर्तन तो नहीं, लेकिन उद्यमियों को राहत जरूर मिलेगी। साथ ही बहुप्रतीक्षित क्रय नीति भी जल्द आने की उम्मीद है।

बिहार चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने बताया कि सरकार वही है, वर्तमान में केवल मंत्री बदलेंगें। व्यवसायी चाहते हैं कि शांति से बिजनेस हो। उनकी जरूरत के अनुसार प्रविधान बनें। बिजली सही से मिले, सड़क बेहतर हो। कहा कि बिहार में सीएनजी-पीएनजी को लेकर वैट अन्य राज्यों की अपेक्षा कई गुणा अधिक वसूला जा रहा है। बजट पूर्व बैठक में भी व्यवसायियों ने अपनी मांगे रखी थी। अब नए मंत्रिमंडल से उम्मीद है। क्रय नीति विचाराधीन है, उम्मीद है कि नई सरकार इसे पूरा करेगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 30.1.2024)

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष ने मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 26वें वार्षिक पद स्थापन-सह-सम्मान समारोह का उद्घाटन किया

समारोह का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन करते बिहार चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, बिहार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, माननीय बिहार विधान पार्षद श्री ललन सराफ एवं मोतिहारी चैम्बर के अध्यक्ष श्री विशाल कुमार।
साथ में उपस्थित हैं मोतिहारी चैम्बर के महासचिव श्री हेमन्त कुमार एवं नॉर्थ बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री श्याम सुन्दर भीमसेरिया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी को पुष्पगुच्छ एवं मेमेन्टो भेंटकर स्वागत एवं सम्मानित करते मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी।

बिहार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पुष्पगुच्छ एवं मेमेन्टो भेंटकर स्वागत एवं सम्मानित करते मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव श्री हेमन्त कुमार।

माननीय बिहार विधान पार्षद श्री ललन सराफ जी को पुष्पगुच्छ एवं मेमन्टो भेंटकर स्वागत एवं सम्मानित करते मोतिहारी चैम्बर के पदाधिकारी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल दिनांक 7 जनवरी, 2024 को मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 26वाँ पद स्थापन-सह-सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय विधान पार्षद श्री ललन सराफ समारोह में उपस्थिति थे। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री श्याम सुन्दर भीमसेरिया मुख्य वक्ता के रूप में समारोह को सम्बोधित किया।

मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री विशाल कुमार ने स्वागत सम्बोधन किया एवं उनके कार्यकाल में सबों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। महासचिव श्री हेमन्त कुमार ने 2023 की गतिविधियों एवं उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

इस समारोह में चार क्षेत्र के नागरिकों एवं अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट नागरिक का सम्मान श्री प्रकाश चौधरी उर्फ भैया जी को, उत्कृष्ट पुलिस पदाधिकारी का सम्मान एएसपी सदर श्री राज, भा.पु.से. को, उत्कृष्ट सरकारी पदाधिकारी का सम्मान अग्निशमन पदाधिकारी श्री अविनाश कुमार को एवं उत्कृष्ट वार्ड पार्षद सम्मान वार्ड 18 के पार्षद श्री संजय जायसवाल उर्फ श्री धीरज को दिया गया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल तथा मुख्य अतिथि माननीय विधान पार्षद श्री ललन सराफ ने चार क्षेत्र के उत्कृष्ट नागरिकों एवं उत्कृष्ट अधिकारियों को मेमेन्टों भेंट कर सम्मानित किया तथा नये सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी

मंचासीन दायें से बायें - श्री सुभाष कुमार पटवारी अध्यक्ष, बिहार चैम्बर, श्री ललन सराफ, माननीय बिहार विधान पार्षद, श्री विशाल कुमार, अध्यक्ष, मोतिहारी चैम्बर, श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, बिहार चैम्बर, श्री हेमन्त कुमार, महासचिव, मोतिहारी चैम्बर एवं श्री श्याम सुन्दर भीमसेरिया, अध्यक्ष, नॉर्थ बिहार चैम्बर।

समारोह को सम्बोधित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

समारोह को संबोधित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी।

बिल्ड मार्ट के पार्टनर श्री कृष्णा राजगढ़िया को बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बिल्ड मार्ट के पार्टनर श्री कृष्णा राजगढ़िया को बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स का हैंडबुक एवं बुलेटिन भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

प्रदान किया।

नार्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री श्याम सुन्दर भीमसेरिया ने बिहार के औद्योगिकरण के मार्ग में बाधक मुद्दों पर चर्चा की एवं राज्य सरकार से इस दिशा में कारगर कदम उठाने की मांग की।

समारोह के मुख्य अतिथि विधान पार्षद श्री ललन सराफ ने समारोह को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार एवं व्यवसायियों के बीच सेतु बनने का आश्वासन दिया एवं कहा कि आपकी हर परेशानी को उचित माध्यम से राज्य सरकार तक पहुँचाएंगे एवं हर कदम पर साथ देंगे।

श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकलापों की भूरी-भूरी प्रशंसा की तथा हर सम्भव सहयोग एवं मार्गदर्शन का आश्वासन दिया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने

बिहार चैम्बर के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए मोतिहारी चैम्बर द्वारा चम्पारण जिला में गठित अन्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी आह्वन किया कि वे अपनी समस्याएं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भेजें। उनकी समस्याओं के निदान हेतु हर सम्भव प्रयास किया जायेगा।

मोतिहारी चैम्बर के नव-निर्वाचित अध्यक्ष श्री राजीव विज़डम ने आगामी सत्र के कार्यों की प्राथमिकता बताई एवं उन्हें चैम्बर का नेतृत्व प्रदान करने के लिए सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। नव-निर्वाचित महासचिव श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव को कार्यभार दिया गया। समारोह का संचालन पूर्व अध्यक्ष सह कार्यक्रम संयोजक डॉ. विवेक गौरव और श्री मनीष कुमार ने किया।

मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदस्थापना-सह-सम्मान समारोह आयोजन से पूर्व बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पटना से बाहर के सदस्यों से मुलाकात की मुहिम के तहत** मोतिहारी अवस्थित सदस्य मेसर्स 'बिल्ड मार्ट' के शो रूम पर पहुँचे और बिल्ड मार्ट के पार्टनर श्री कृष्ण राजगढ़िया से मिले।

श्री कृष्ण राजगढ़िया ने चैम्बर के अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष का उनके प्रतिष्ठान पर पधारने हेतु आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष ने बिल्ड मार्ट के पूरे परिसर का भ्रमण किया। चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने श्री राजगढ़िया को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का सदस्यता प्रमाण-पत्र, चैम्बर का हैंड बुक एवं बुलेटीन प्रदान किया।

पूर्वी चम्पारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मोतिहारी के अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह एवं अन्य पदाधिकारियों को बिहार चैम्बर का हैंडबुक एवं बुलेटीन भेंट करते बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बिल्ड मार्ट के अतिरिक्त चैम्बर अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष बिहार चैम्बर के सदस्य 'पूर्वी चम्पारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, मोतिहारी' के अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह एवं अन्य पदाधिकारियों से भी मिले एवं उन्हें बिहार चैम्बर का हैंड बुक एवं बुलेटीन भेंट किया। पूर्वी चम्पारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह ने बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को मोतिहारी में उनसे मिलने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त किया।

'बिहार पर्यटन नीति 2023' पर हितधारकों एवं निवेशकों की बैठक में चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए

माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार श्री तेजश्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में 'बिहार पर्यटन नीति 2013' पर हितधारकों एवं निवेशकों के साथ एक बैठक दिनांक 18 जनवरी 2024 को होटल लेमन ट्री, पटना में हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से कार्यकारिणी सदस्य श्री संजय बैद सम्मिलित हुए।

पीएनजी पर वैट की दर कम नहीं हुई, तो बंद हो जायेंगी यूनिटें

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पीएनजी पर लगने वाले वैट की दर को कम करने का आग्रह किया है। साथ ही पीएनजी में परिवर्तन के लिए वर्तमान संरचना में पूरी तरह से बदलाव की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए उद्यमियों को कम-से-कम 12 महीने का मौका दिये जाने का आग्रह किया है।

चैम्बर ने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ, तो अधिकतर यूनिट बंद हो जायेंगी। साथ ही बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने पत्र में लिखा है कि पीएनजी के मामले में वैट की कोई प्रतिपूर्ति नहीं होती है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी के तहत कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोयला और फर्नेश ऑयल के स्थान पर पीएनजी का उपयोग करने पर उद्यमियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। बिहार में पीएनजी पर वैट की दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। फिलहाल बिहार में पीएनजी पर वैट दर 20 फीसदी है। जबकि पड़ोसी राज्य झारखण्ड में 14 फीसदी और पश्चिम बंगाल में 8 फीसदी है।

कोयले से उत्पादन की तुलना में तीन गुनी बढ़ जायेगी लागत : बिहार चैम्बर के अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में कोयला और फर्नेश ऑयल से चल रही इकाइयों को जारी किये जा रहे क्लोजर नोटिस की और ध्यान दिलाया है। उन्होंने बताया कि यूनिट में जो मशीनरी और उपकरण लगे हैं, वे कोयला और फर्नेश ऑयल से ही हीटिंग होने के लिए डिजाइन किये गये हैं। पीएनजी में परिवर्तन के लिए वर्तमान संरचना में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत होगी। जिसमें समय लगेगा। इसलिए इसे देखते हुए उद्यमियों को कम-से-एक साल का वक्त दिया जाये।

(साभार : प्रभात खबर, 5.1.2024)

दवा कंपनियों के लिए केन्द्र सरकार की नई गाइडलाइन

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं के उत्पादन से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि अब देश की फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दवा बनाने

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक (यातायात) से मिला एवं बेहतर यातायात व्यवस्था हेतु सुझाव दिया

श्री पूरन कुमार झा, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक (यातायात) के साथ विचार-विमर्श हेतु उपस्थित चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी के नेतृत्व में दिनांक 9 जनवरी 2024 को पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री पूरन कुमार झा, भा.पु.से. से उनके कार्यालय में मिला और उन्हें पटना में बेहतर यातायात व्यवस्था हेतु ज्ञापन भी समर्पित किया। प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व महामंत्री श्री राजा बाबु गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय कुमार, श्री आशीष प्रसाद एवं श्री पवन भगत सम्मिलित थे।

श्री पूरन कुमार झा, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक (यातायात) ने चैम्बर प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा।

चैम्बर की ओर से समर्पित ज्ञापन में पुलिस अधीक्षक (यातायात) का जिन विन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया वो निम्नानुसार हैं:-

- आपको विदित है कि गाँधी मैदान के चारो ओर कई सारे महत्वपूर्ण सरकारी एवं निजी कार्यालय अवस्थित हैं साथ ही बस स्टैण्ड, स्कूल, कॉलेज, होटल, मॉल, सिनेमा हॉल एवं कई एक मीटिंग हॉल अवस्थित हैं जिनमें बराबर कोई-न-कोई कार्यक्रम होता रहता है। जब से मैट्रो का कार्य गाँधी मैदान के पास प्रारम्भ हुआ है, रोड संकीर्ण हो गया है, गाँधी मैदान के चारो ओर बराबर जाम की स्थिति बनी रहती है और यातायात बाधित रहता है, जिसके कारण लोगों को चार चक्का वाहन क्या बाइक लेकर भी चलना मुश्किल हो गया है और घंटों एक ही जगह जाम में रूकने को विवश होना पड़ता है। इस संबंध में हमारा सुझाव है कि गाँधी मैदान के चारो ओर यातायात की One way व्यवस्था तत्काल प्रारम्भ की जानी चाहिए, साथ ही यातायात को बराबर Regulate करने के लिए पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए।
- ट्रैफिक की समस्या केवल पुलिस प्रशासन से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसमें कई विभागों की भागीदारी होती है। इसलिए हमारा सुझाव है कि जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर वरीय पदाधिकारियों की एक कमिटी बनाते हुए पटना के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाकर सरकार के पास भेजा जाना

में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानक का पालन करना होगा। दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेनी हेगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि जो दवा बनाई गई है, उससे मरीजों को किसी तरह का जोखिम न हो। फार्मा कंपनियों को लाइसेंस के मापदंडों के अनुसार ही दवा बनानी होगी। दवाओं को पूरी तरह से टेस्टिंग के बाद ही मार्केट में उतारना होगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित गाइडलाइन में दवाओं को वापस लेने के बारे में भी निर्देश दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि खराब दवाओं को वापस लेने से पहले लाइसेंसिंग अथारिटी को सूचित करना होगा। इसके साथ ही दवा को क्यों वापस लिया जा रहा है इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट सौंपनी होगी।

बताना होगा कि दवाओं में ऐसी क्या खराबी थी जो इसे वापस लेने की जरूरत पड़ी। अभी तक किसी भी दवा को वापस लेने से पहले लाइसेंसिंग अथारिटी को जानकारी देने की व्यवस्था नहीं थी।

दवा कंपनियों से कहा गया है कि वह अपनी कंपनी में एक फार्मा-कोविजिलेंस सिस्टम बनाए। यह एक ऐसी निगरानी प्रणाली होगी जो कंपनी की दवाओं की क्वालिटी पर नजर रखेगी। अगर दवा में किसी प्रकार की कमी है और वापस लेने की नौबत आती है तो इसकी भूमिका अहम होगी। यह सिस्टम ही लाइसेंसिंग अथारिटी को रिपोर्ट सौंपेगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 7.1.2024)**

कैबिनेट **बिहार आइटी पॉलिसी, 2024 को सरकार ने दी स्वीकृति**

आइटी कंपनियों को निवेश राशि पर 30 फीसदी की मिलेगी मदद

राज्य में आइटी, आइटीइएस व इएसडीएम उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और रोजगार सृजन को लेकर कैबिनेट ने बिहार आइटी (इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पालिसी 2024 की स्वीकृति दी है। इस नीति के तहत पाँच करोड़ के न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट वाली आइटी, आइटीइएस, इएसडीएम यूनिटों को 30 प्रतिशत का एकमुश्त सपोर्ट जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ तक दी जायेंगी।

इसमें सरकार आरबीआइ से पंजीकृत बैंक या वित्तीय संस्थानों से इकाई द्वारा लिये गये टर्म लोन पर पात्र इकाइयों को ब्जाज अनुदान का रिम्बर्समेंट भी किया जायेगा।

इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी के तरह सरकार लीज रेंटल सब्सिडी भी देगी : टर्म लोन पर वास्तविक ब्याज दर या 10 प्रतिशत तक का ब्याज दर जो भी कम होगा, वह अनुदान के लिए मान्य होगा। इस नीति के तहत सरकार लीज, रेंटल सब्सिडी भी देगी। इसमें लीज पर लिये गये कार्यालय अथवा व्यवसायिक स्थल से संचालित होने वाली आइटी इकाइयों को वार्षिक लीज

चाहिए। पटना में बढ़ती जनसंख्या, वाहनों का दबाव एवं संकरी सड़कों के कारण ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। इस सन्दर्भ में हमारा निवेदन होगा कि ट्रैफिक पुलिस के पास आधुनिक उपकरण प्रचूर मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए साथ ही ट्रैफिक पुलिस की संख्या में भी अपेक्षित वृद्धि की जानी चाहिए।

- **अलग यातायात नियंत्रण कक्ष** - पटना में गाड़ियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना में अलग से एक यातायात नियंत्रण कक्ष बनाया जाना चाहिए।
- पटना के कारगिल चौक के चारो ओर काफी जाम की स्थिति बनी रहती है। बस स्टैण्ड से पटना क्लेक्ट्रीयट आनेवाले रास्ते में चल रहे निर्माण कार्य के कारण रोड संकरी हो गई है इसलिए इस रोड पर अनाधिकृत रूप से पार्किंग किए गए वाहनों को हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। **इसी को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक यातायात ने अपने पत्रांक 2393 दिनांक 28.11.2009 द्वारा चैम्बर के सामने के रोड पर एक गृह रक्षक की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया था।** पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि यातायात के सुगम संचालन हेतु गृह रक्षक की प्रतिनियुक्ति चैम्बर के सामने के रोड पर सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए।
- पटना शहर के विभिन्न भागों में जो जगह-जगह पर गलत तरीके से वाहन पार्किंग किया जाता है जिसके कारण यातायात जाम की समस्या बनी रहती है इसलिए गलत तरीके से किए गए पार्किंग पर सख्ती बरती जानी चाहिए।
- पटना के आयकर गोलम्बर से श्रीकृष्णा नगर जाने वाले रास्ते में अतिक्रमण के कारण वाहनों को आने-जाने में असुविधा हो रही है। अत: उस अतिक्रमण को शीघ्रातिशीघ्र हटाया जाना चाहिए।
- भीषण ट्राफिक जाम वाले स्थानों पर वाकी-टॉकी से लैस उपयुक्त संख्या में ट्रैफिक के जवानों को लगाया जाना चाहिए साथ ही इन स्थानो पर हमेशा क्रेन की व्यवस्था रहनी चाहिए।
- पटना के प्रमुख व्यावसायिक स्थलों पर गाड़ियों की पार्किंग के लिये स्थान चिन्हित कर उसका विकास किया जाना चाहिए जिससे कि अधिकाधिक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था

पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री पूरन कुमार झा, भा.पु.से. के साथ विचार-विमर्श करते चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण

संभव हो सके। पार्किंग के लिए अधिकांश स्थानों में बनाया गया चिन्ह गाड़ी की लम्बाई से कम रहता है और बड़ी गाड़ियों की लिहाज से और भी कम रहता है। इसलिए गाड़ियों का कुछ भाग पार्किंग लाईन से बाहर होने पर ट्रैफिक पुलिस मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। अत: इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश जारी किया जाना चाहिए।

- न्यू मार्केट Over bridge के नीचे वाहन पार्किंग के लिए Mark किया गया था परन्तु पार्क बना दिए जाने के कारण वाहनों को पार्क करने की गंभीर समस्या उत्पन हो गई है जिसके कारण वाहन वाले कोई ग्राहक न्यू मार्केट नहीं आना चाहते हैं। फलस्वरूप वहाँ का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और इसका प्रतिकूल प्रभाव सरकार के राजस्व पर भी पड़ रहा है। जी.पी.ओ. गोलम्बर के पास जो पार्किंग था वहाँ पर भी अनाधिकृत रूप से वेंडरों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है साथ ही उस स्थान पर पटना नगर निगम द्वारा आश्रय स्थल का निर्माण किए जाने के कारण वहाँ भी गाड़ी पार्किंग करना असंभव हो गया है।
- पटना का स्टेशन गोलम्बर के चारो ओर टेम्पू, ई-रिक्सा, ठेला, बस आदि रोड पर लगाने एवं अनाधिकृत रूप से वेंडरों द्वारा अतिक्रमण के कारण बराबर जाम की स्थिति बनी रहती है। वीणा सिनेमा की ओर से आने वाले वाहनों को महावीर मंदिर तक काफी मशक्कत करना पड़ता है, घंटों जाम में फसे रहते हैं, बहुत से लोगों का तो ट्रेन भी छूट जाता है।
- फ्रेजर रोड में डाक बंगला चौक से रेडियो स्टेशन तक कुछ स्थानों को पार्किंग के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए।
- रोड के साइड में अनाधिकृत वेंडरों के कारण भी यातायात बाधित होती है अत: यातायात को सहज बनाने हेतु अनाधिकृत वेंडरों को हटाया जाना चाहिए साथ ही उस स्थान पर दुबारा अतिक्रमण न हो, इस आशय की जिम्मेवारी संबंधित थाना को दिया जाना चाहिए।
- ओवर स्पीड वाहनों पर नियंत्रण के लिए सभी यातायात थानों को इंटरसेप्टर वाहन मुहैया कराया जाना चाहिए।
- ऐसा देखा जाता है कि गायघाट, पटना सिटी से आने वाले ऑटो एवं ई-रिक्सा बाकरगंज ट्राफिक पोस्ट से पहले अपने वाहन को रोक कर यात्रियों से भाड़ा वसूलने लगते हैं जिसके कारण मछुआ टोली तक जाम लग जाता है, साथ ही गॉधी मैदान से पटना जंक्शन जाने वाले ऑटो एवं ई-रिक्सा भी उसी मोड़ पर वाहन रोक कर सवारी बैठाते हैं जिसके कारण भी यातायात बाधित होता है, अत: इसका ठोस समाधान निकाला जाना चाहिए।
- ऑटो, ई-रिक्सा एवं नगर सेवा के बसों द्वारा सड़क के बीच में एवं मोड़ पर गाड़ी खड़ा करके सवारी उतारने एवं चढ़ाने से भी यातायात अवरूद्ध होता है। अत: इसका ठहराव केवल चिन्हित स्थलों पर हो इस पर सख्ती करने की आवश्यकता है।
- पटना के विभिन्न स्थानों पर नो वेंडिग जोन का बोर्ड लगाया गया है, परन्तु वहीं पर सबसे अधिक वेंडर रहते हैं जिसका उदाहरण स्टेशन गोलम्बर है। अत: जहाँ भी नो वेंडिंग जोन का बोर्ड लगाया गया है, वहाँ पर इसका सख्ती से अनुपालन होना चाहिए।

किराये की राशि का 50 प्रतिशत रेंटल प्रोत्साहन पाँच वर्षों तक प्रतिपूर्ति के रूप में किया जायेगा।

बिजली टैरिफ के भुगतान पर भी सब्सिडी दी जायेगी : इस नीति के तहत आइटी इकाइयों को वार्षिक बिजली टैरिफ के भुगतान पर भी सब्सिडी दी जायेगी। आइटी इकाइयों को वार्षिक बिजली बिल पर 25% की प्रतिपूर्ति पाँच वर्षों तक की जायेगी। सरकार द्वारा रोजगार सृजन में भी सब्सिडी दी जायेगी। नियोक्ता के द्वारा इपीएफ और इएसआइ में जमा की गयी राशि की 100% प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी अधिकतम सीमा पाँच हजार रुपये प्रति कर्मचारी प्रति माह होगी।

आइटी नीति के तहत मेगा इकाइयों जिसमें 100 करोड़ से अधिक के निवेश होने या राज्य में कम से कम हजार प्रत्यक्ष आइटी रोजगार सृजन करने पर टेलर मेड पैकेज दिया जायेगा।

इस नीति के तहत आइटी उत्पाद, सॉफ्टवेयर और सेवाएँ, नॉलेज प्रॉसेस आउट सोर्सिंग, कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर विकास केन्द्र, चिप निर्माण और डिजाइन, कंप्यूटर या पेरिफेरल्स और अन्य कार्यालय उपकर, सेमीकंडक्टर्स, सर्वर और स्टोरेज डिवाइस, संचार और नेटवर्किंग उपकरण, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश करने पर इसका लाभ मिलेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 9.1.2024)**

चैम्बर अध्यक्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में शामिल हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 3 जनवरी, 2024 को श्री संदीप पौंडरिक, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में हुई।

इस बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी सम्मिलित हुए।

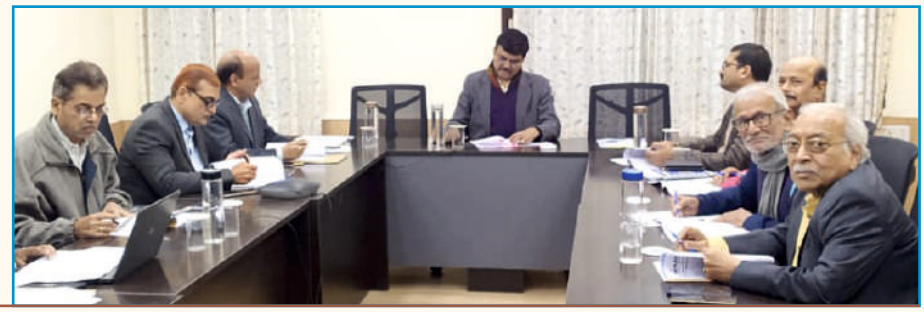

बीमा पॉलिसी जारी होने की तारीख से ही दावा प्रभावी

बीमा कंपनियों और बीमाधारकों के बीच विवाद को सुलझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है

बीमा कंपनियों और बीमाधारकों के बीच विवाद को सुलझाते हुए उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने साफ किया है कि बीमा पॉलिसी उसी तिथि से प्रभावी मानी जाएगी, जिस तारीख को उसे जारी किया गया। चाहे उसे पिछली तारीख से खरीदा गया हो। शीर्ष अदालत ने माना कि पॉलिसी जारी करने की तारीख ही सभी उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक और प्रभावी तारीख होगी। अदालत के सामने मुद्दा यह था कि वह कौन सी तारीख होगी, जिससे पॉलिसी प्रभावी मानी जाएगी। क्या यह वह तारीख होगी जिस दिन पॉलिसी जारी की जाती है या पॉलिसी में उल्लिखित प्रारंभ की तारीख होगी, या जमा रसीद या कवर नोट जारी करने की तारीख होगी।

अदालत ने उपभोक्ता फोरम के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रीमियम की प्रारंभिक जमा रसीद जारी करने की तारीख से ही पॉलिसी शुरू होने की तारीख मानी जाएगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 8.1.2024)**

क्रेडिट, डेबिट कार्ड से जीएसटी चुका सकेंगे

कारोबारियों को कर भुगतान के लिए एक और विकल्प मिलेगा

सरकार ने कारोबारियों के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत कारोबारी अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी जीएसटी का भुगतान कर पाएंगे। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने इस सेवा को सक्रिय कर दिया है।

10 राज्यों में शुरू हुई सेवा : जीएसटीएन के मुताबिक, फिलहाल 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कारोबारियों को सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इनमें दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश शामिल हैं। जीएसटी चालान बनाते समय कारोबारियों को जीएसटी भुगतान का तरीका चुनना होगा। इसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड का विकल्प भी जोड़ दिया गया है। बाद में सभी राज्यों में इस सेवा कर विस्तार कर दिया जाएगा।

अभी ये विकल्प उपलब्ध : अभी व्यापारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीकों में नेट बैंकिंग, आईएमपीएस और यूपीआई शामिल हैं।

65 फीसदी बढ़े जीएसटी दाखिल करने वाले : देश में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में पिछले पाँच वर्षों में 65 फीसदी का इजाफा हुआ है। अप्रैल 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई। वहीं, दिसम्बर 2023 में कुल जीएसटी वसूली 1.64 लाख करोड़ रुपये रही। सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह में 10 फीसदी का उछाल आया है।

इन कार्ड नेटवर्क पर सुविधा : व्यापारी रूपे, मास्टरकार्ड, वीजा और डायनर्स द्वारा संचालित सभी क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.1.2024)

छोटे वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत ₹200 करोड़

रिजर्व बैंक ने छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए न्यूनतम पूंजी जरूरत को बढ़ा कर 200 करोड़ रुपये करने के साथ ही भुगतान बैंकों को एसएफबी के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी। दिलचस्प बात यह है कि इस समय संचालित हो रहे सभी लघु वित्त बैंकों की कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपये से अधिक है। रिजर्व बैंक ने कहा कि स्वेच्छा से एसएफबी में स्थानातरित होने के इच्छुक शहरी सहकारी बैंकों के पास 100 करोड़ पूंजी की जरूरत होगी, जिसे पाँच साल के भीतर 200 करोड़ रुपये होना होगा। **(साभार : प्रभात खबर, 9.1.24)**

देश में कम हो रही है अमीरी और गरीबी के बीच की खाई

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय बढ़ने से लोग अब दोपहिया वाहनों की जगह चार-पहिया वाहनों का उपयोग कर रहे हैं • महिला करदाताओं की संख्या कम-से-कम 15 प्रतिशत है • अर्ध-शहरी क्षेत्रों में दो करोड़ लोग जोमैटो खाना मगवा रहे हैं

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दस साल में (2014-23) के दौरान आय असामनता में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। भारत में एक तिहाई से अधिक करदाताओं के आयकर की ऊँची श्रेणियों में जाने और शीर्ष करदाताओं का योगदान घटने के साथ आय असमानता में गिरावट दर्ज की गयी है। रिपोर्ट के मुताबिक, कर योग्य आय के गिनी गुणांक के माध्यम से चिह्नित आय असमानता वित्त वर्ष 2014-22 के दौरान 0.472 से घटकर 0.402 तक आ गयी है। आकलन वर्ष 2022-23 में यह और घट जायेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 'के-आकार' के पुनरुद्धार संबंधी चर्चाएं दोषपूर्ण, पूर्वाग्रह से ग्रसित और मनगढंत हैं।

19% छोटी कंपनियाँ बन गयी बड़ी कंपनियाँ : रिपोर्ट कहती है कि 19.5% छोटी कंपनियाँ एमएसएमइ मूल्य श्रृंखला एकीकरण के माध्यम से बड़ी कंपनियों में परिवर्तित हो गयी हैं और महामारी के बाद निचली 90% आबादी की खपत में 8.2 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

36% करदाता निम्न श्रेणी से उच्च आयकर श्रेणी में गये : रिपोर्ट के अनुसार 36.3% करदाता निम्न आय श्रेणी से उच्च आयकर श्रेणी में चले गये हैं, जिससे 21.3 प्रतिशत अतिरिक्त आय हुई। वहीं शीर्ष 2.5% करदाताओं का अंशदान 2013-14 से लेकर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 2.81% से घटकर 2.28% पर आ गया। पाँच से 10 लाख तक की आय वालों की तरफ से दाखिल आइटीआर की संख्या इस दौरान 295% बढ़ गयी। 3.5 लाख से कम आय वालों की आय असमानता 2013-14 में 31.8% से घट कर 2020-21में 15.8% हो गयी। 100 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले 23 व्यक्तियों की सम्मिलित आय 2013-14 के पूरे वित्त वर्ष की कुल आय का 1.64% थी। 2020-21 में ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 136 हो गयी, लेकिन उनकी सम्मिलित आय का हिस्सा गिरकर 0.77% हो गया। **(साभार : प्रभात खबर, 9.1.2024)**

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की बैठक में लेबर सब कमिटी के संयोजक सम्मिलित हुए

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) बिहार की 111वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक दिनांक 3 जनवरी, 2024 को प्रतिबिम्ब सभागार, नियोजन भवन में पटना में आयोजित हुई।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से लेबर सब कमिटी के संयोजक श्री सुधि रंजन सम्मिलित हुए।

राज्य के बैंकों से अधिक पैसे की निकासी होने पर मैनेजर देंगे रिपोर्ट

राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। अब बैंकों में जमा पैसा निकालने के लिए लोगों को कारण बताना होगा। बैंकों से अधिक राशि की निकासी होने पर ब्रांच मैनेजर को प्रतिवेदन देना पड़ेगा। वहीं, नगद राशि लेकर चलने वाले लोगों पर पुलिस की नजर रहेगी। नगद राशि लेकर पकड़े जाने पर साक्ष्य दिखाने के साथ कारण बताना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के जिलों में धन-बल को रोकने के लिए डीएम की अध्यक्षता में इंटेलिजेंस कमेटी का गठन किया जा रहा है। डीएम की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी चुनाव प्रभावित करने वाले लोगों पर नजर रखने के साथ कार्रवाई करेगी। इसके तहत पैसों के लेन-देन पर नजर रखने के साथ असामाजिक तत्वों को चिह्नित करने, हथियार की जाँच करने, शराब के अवैध धंधे आदि पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

20 प्रतिशत से अधिक कैश की खपत होने पर नजर : यदि किसी ब्रांच में एक लाख का रोजाना लेन-देन हो रहा है। इसमें 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी होने पर ब्रांच मैनेजर को लीड बैंक मैनेजर के पास सूचना देनी है। ऐसे ब्रांच के इलाके में आयकर अधिकारियों के द्वारा नजर रखी जाएगी। शादी-विवाह, अस्पताल में भर्ती मरीज आदि के मामले में नगद राशि लेकर जाने पर छूट मिलगी।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 7.1.2024)

एक मार्च से ई-चालान विवरण के बिना नहीं बनेगा ई-वे बिल

पाँच करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी एक मार्च से बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान विवरण के बिना ई-वे बिल नहीं बना पाएँगे। जीएसटी प्रणाली के तहत 50 हजार रुपये से ज्यादा मूल्य के सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन के लिए ई-वे बिल आवश्यक है।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआइसी) ने एक विश्लेषण में पाया कि ई-चालान के लिए कुछ पात्र करदाता बी2बी (फर्म से फर्म को) और बी2ई (कंपनियों से निर्यातकों को) के लेनदेन के लिए ई-वे बिल ई-चालान से जोड़े बगैर ही बनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ मामलों में ई-वे बिल और ई-चालान के तहत अलग-अलग दर्ज चालान विवरण कुछ मापदंडों में मेल नहीं खा रहे हैं। इससे ई-वे बिल और ई-चालान विवरण के बीच मिलान नहीं हो रहा है। ग्राहकों से या गैर-आपूर्ति वाले अन्य लेनदेन के लिए ई-वे बिल पहले की तरह चलेगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 7.1.2024)

होम लोन पर अब तीन बार बदल सकते है EMI Tenure

• आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट लोन लेने वालों को दी राहत • फिक्स्ड रेट, ईएमआई बढ़ाने का दिया ऑप्शन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फ्लोटिंग रेट लोन लेने वालों को राहत दी है। आरबीआई ने बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (एनबीएफसी) को निर्देश दिए हैं कि वे फ्लोटिंग रेट लोन लेने वालों को लोन रीसेट के समय फिक्स्ड रेट पर जाने, ईएमआई बढ़ाने या टेन्योर बढ़ाने का ऑप्शन दें।

याद रखें ये 4 अहम बातें : 1. आरबीआई ने यह भी कहा है कि फ्लोटिंग रेट लोन लेने वाले कंज्यूमर्स ईएमआई बढ़ाने या टेन्योर बढ़ाने का ऑप्शन भी चुन सकते है। 2. ईएमआई बढ़ाने से कंज्यूमर को लोन चुकाने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन उनकी मंथली किस्त कम हो जाएगी। 3. आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंकों या एनबीएफसी को यह कंफर्म करना होगा कि लोन पीरियड में बढ़ोत्तरी के रिजल्ट के तौर पर नेगेटिव अमॉर्टिसेशन न हो। 4. नेगेटिव अमॉर्टिसेशन तब होता है जब कंज्यूमर लोन की प्रिंसिपल अमाउंट से कम इंट्रेस्ट चुकाता है।

(साभार : आईनेक्स्ट, 2.1.2024)

बीमा कंपनी को वाहन की मरम्मत की राशि सूद समेत देने का आदेश

वाहन क्षतिग्रस्त होने के बाद भी बीमा का भुगतान नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को सूद समेत मरम्मत की राशि 1.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। दरअसल, मो नसीम अपने वाहन का बीमा मेसर्स इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। इसकी अवधि 21 जुलाई, 2014 से 20 जुलाई, 2015 तक थी। कंपनी ने बीमा पॉलिसी के अनुसार कार का कुल मूल्य 6.34 लाख होने का आश्वासन दिया था।

शिकायतकर्ता 19 अक्टूबर, 2014 को अपने परिवार के सदस्यों के साथ राँची में अपने रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी क्रम में रास्ते में कार अचानक रुक गयी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अलंकार मोटर्स से सपर्क किया और मरम्मत के लिए अग्रिम के रूप में 50 हजार रुपये का भुगतान किया व बाद में 1.24 लाख रुपये देने थे। उन्होंने बीमा कंपनी से राशि की भुगतान की गुहार लगायी लेकिन, आवेदन को खारिज कर दिया गया।

(साभार : प्रभात खबर, 4.1.2024)

अब चेक और ड्राफ्ट से भी जमा कर सकेंगे होल्डिंग टैक्स, मौर्यालोक में मशीन लगी

पटना के लोग अब चेक और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी होल्डिंग टैक्स और कचरा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए नगर निगम ने फेडरल बैंक के सहयोग से मौर्यालोक परिसर के मौर्या टावर में ऑटोमेटेड चेक कियोस्क मशीन लगाई है। इस मशीन का उद्घाटन मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त ने किया। **इसके साथ ही चेन्नई के बाद पटना देश का दूसरा शहर बन गया है, जहाँ का नगर निगम स्वचालित मशीन के माध्यम से चेक और डिमांड ड्राफ्ट से भी होल्डिंग टैक्स लेगा।** इस मशीन में अपना पीआईडी नंबर (प्रॉपर्टी आईडेंफिकेशन नंबर) या मोबाइल नंबर डालकर बकाया राशि देख सकते हैं। मशीन में चेक डालने के बाद दो-तीन दिन में राशि जमा हो जाएगी और उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज के माध्यम से

एक दिवसीय गोलमेज सम्मेलन वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2022–2023 में चैम्बर के उपाध्यक्ष सम्मिलित हुए

भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकाय प्रभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2024 को ''एक दिवसीय गोलमेज सम्मेलन वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2022–2023 का आयोजन किया गया।

इस आयोजन में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए एवं दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया।

जमा की गई राशि की रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। महापौर सीता साहू ने बताया कि जल्द ही सभी अंचल मुख्यालयों में भी यह मशीन लगाई जाएगी, ताकि लोग अपने नजदीक के सेंटर पर ही टैक्स जमा कर सकें। यह मशीन 24 घंटे संचालित होगी, जिससे लोग छुट्टियों के दिन भी भुगतान कर सकेंगे।

नगर आयुक्त अनिमेष पराशर ने बताया कि फर्जीवाड़े को रोकने में भी नई व्यवस्था कारगर साबित होगी।

ऑनलाइन-काउंटर पर भी जमा करने की सुविधा : नगर निगम मुख्यालय और अंचलों के काउंटर के अलावा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। पटना नगर निगम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सहित बीबीपीएस (भारत बिल भुगतान प्रणाली) प्लेटफामों पर उपलब्ध है। इसके उपयोगकर्ताओं को कोई सेवा शुल्क नहीं देना होगा। लोग इनके माध्यम से भी प्रॉपर्टी टैक्स और कचरा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। नगर निगम की वेबसाइट (http://pmcptax.bihar.gov.in) पोर्टल क्यूआर कोड से भी टैक्स का भुगतान कर सकते है।

जून तक जमा करने पर 5 फीसदी की छूट : होल्डिंग टैक्स अप्रैल से जून तक जमा करने पर 5 फीसदी की छूट दी जाती है। जुलाई से सितम्बर तक बिना छूट और बिना पेनाल्टी के जमा किया जा सकता है। इसके बाद 1.5 फीसदी की पेनाल्टी लगती है। अभी जिन्होंने टैक्स नहीं जमा किया है, उन्हें यह पेनाल्टी देनी होगी और यह हर महीने बढ़ती जाएगी।

क्यों पड़ी इसकी जरुरत : होल्डिंग टैक्स के कई बकाएदार ऐसे हैं, जिनपर लाखों रुपए बकाया है। ऐसे लोग काउंटर पर जाकर या ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे लोग चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आसानी से टैक्स जमा कर सकेंगे। अभी 1 लाख 42 हजार बकाएदारों पर करीब 123 करोड़ बकाया है। लाख प्रयास के बावजूद नगर निगम इनसे वसूली नहीं कर पा रहा है। नई व्यवस्था के बाद इनसे वसूली करना संभव हो सकेगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 4.1.2024)

शोभन में दरभंगा एम्स बनने का रास्ता साफ, केन्द्र ने दी मंजूरी

दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर राज्य सरकार द्वारा दिये गये नये प्रस्ताव को केन्द्र ने स्वीकृत कर लिया है। राज्य के प्रस्ताव को केन्द्र रिस्ट्रक्चर करने में जुटी है। केन्द्र की स्वीकृति के साथ ही दरभंगा एम्स निर्माण का रास्ता साफ हो गया। यह माना जा रहा है कि इसको लेकर केन्द्र सरकार द्वारा जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। इससे जुड़ा सहमति पत्र केन्द्र ने राज्य सरकार को भेज दिया है। बिहार सरकार ने दरभंगा के शोभन बाइपास में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण का नया प्रस्ताव दिसम्बर 2023 के पहले सप्ताह में केन्द्र सरकार को सौंपा था। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत व संयुक्त सचिव सुधीर कुमार नये प्रस्ताव को लेकर दिल्ली गये थे।

उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत को प्रस्ताव सौंपा था। नये प्रस्ताव में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के सभी आवश्यक शर्तों को स्वीकार कर लिया है इसमें दरभंगा एम्स को फोरलेन की कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना है। साथ ही यहाँ पर जमीन का समतलीकरण कर बिजली और पानी की अपूर्ति बहाल की जानी है। **(साभार : प्रभात खबर, 5.1.2024)**

GST Collections up 10% YoY at ₹1.64 Lcr in Dec

Dip sequentially; average monthly mopup at ₹1.66 lakh cr this fiscal so far

India's goods and services tax (GST) collections rose 10 % year-on-year to ₹1.64 lakh crore in December, official data released Monday showed. That's down from ₹1.68 lakh crore in November and up from ₹1.49 lakh crore in the year before. Experts said the double-digit growth in collections reflected the underlying economic momentum and the monthly moderation was attributable to holidays and the base effect. **(Details : E.T., New Delhi, 2.1.2024)**

एक घंटे में शिकायत तो साइबर ठग से बचेगा पैसा

साइबर अपराधियों द्वारा किसी के बैंक खाते से की गई धोखाधड़ी के मामले में यदि गोल्डन ऑवर यानी पहले एक घंटे के भीतर भारतीय साइबर अपराध केन्द्र (आईफोरसी) तक शिकायत पहुँचती है तो ऐसे मामलों में धोखाधड़ी से उड़ाई गई राशि को साइबर अपराधियों के खाते से निकलने से रोका जा सकता है। गृह मंत्रालय के आईफोरसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2023 में 921.59 करोड़ को बैंक खातों में रोका गया जिसके चलते अपराधी उसे निकाल नहीं सके। पिछले तीन साल में पैसे ब्लॉक करने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गृह मंत्रालय और झारखण्ड पुलिस ने प्रतिबिंब योजना के तहत देवघर, जामताड़ा आदि साइबर अपराधियों के अड्डों में उन फोन कॉल को ट्रेस करना शुरू किया है जो वहाँ से देश के दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं। पिछले माह वहाँ 450 साइबर अपराधी पकड़े हैं। इसे अन्य हिस्सों में मी अपनाया जाएगा।

पाँच किस्म की साइबर ठगी सबसे ज्यादा : 1. सबसे ज्यादा साइबर ठगी के 1.59 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें निवेश का भरोसा दिलाकर ठगी होती है। 2. लोन ऐप के जरिए साइबर ठगी भी खूब हुई। इसके 85 हजार मामले दर्ज हुए हैं। 3. तीसरे नंबर पर कस्टमर केयर के नाम पर होने वाली ठगी के 43 हजार मामले हैं। 4. चौथे नंबर टेकओवर यानी नकली पहचान फोटो दिखाकर ठगी की जाती है। इसके 38 हजार मामले दर्ज हुए। 5. पाँचवे नंबर पर सेक्सटॉर्शन के 19 हजार केस हैं। हालांकि ये केस ज्यादा हो सकते हैं।

- 169 करोड़ रुपये यानी सात फीसढ़ी की धोखाघड़ी 2022 में ब्लॉक हुई • **1930** नंबर पर जितनी जल्दी होगी शिकायत उतनी ही जल्दी कार्रवाई होगी

(साभार : हिन्दुस्तान, 4.1.2024)

बिहार कौशल विकास मिशन की बैठक में चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष सम्मिलित हुए

श्रम संसाधान विभाग, बिहार सरकार के बिहार कौशल विकास मिशन की 34वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 10 जनवरी, 2024 को नियोजन भवन, पटना में आयोजित हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन सम्मिलित हुए।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर अनुमान में बढ़ोतरी की

देश की अर्थव्यवस्था 7.3 फीसदी की दर से बढ़ेगी

वर्ष 2023-24 में देश की अर्थव्यवस्था के 7.3 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में यह दर 7.2 प्रतिशत थी। एक सरकारी अनुमान में यह संभावना जताई गई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राष्ट्रीय आय के बारे में अपने पहले अग्रिम अनुमान में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) यानी 2011-12 की स्थिर कीमतों पर जीडीपी 171.79 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी के 160. 06 लाख करोड़ रुपये रहने का अस्थायी अनुमान 31 मई 2023 को जारी किया गया था। चालू वित्त वर्ष में देश की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि 7.3 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 7.2 फीसदी थी। वित्त वर्ष 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी 296.58 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 31 मई 2023 को जारी वर्ष 2022-23 के अस्थायी अनुमानों के मुताबिक जीडीपी 272.41 लाख करोड़ रुपये थी।

वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि अनुमान

संस्था	पहले	अब
आरबीआई	6.5	07
सीआईआई	6.5	6.8
मूडीज	6.7	6.7
नोमुरा	5.9	6.7
फिच	5.5	6.2
एसएडपी	06	6.4

• आंकड़े प्रतिशत में

पिछली तीन तिमाहियों का लेखा जोखा

अक्टूबर-दिसम्बर तिमाही	7.6 प्रतिशत
अप्रैल-जून तिमाही	7.8 प्रतिशत
जनवरी-मार्च तिमाही	6.1 प्रतिशत

भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा : यूएन

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मजबूत घरेलू मांग तथा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में मजबूती से भारत की वृद्धि दर 2024 में 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएँ (डब्ल्यूईएसपी) 2024 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई।

इसमें कहा गया कि दक्षिण एशिया का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2024 में 5.2 प्रतिशत बढने का अनुमान है। इससे भारत में मजबूत विस्तार का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया, मजबूत घरेलू मांग तथा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि के बीच भारत में वृद्धि दर 2024 में 6.2 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है, जो 2023 के 6.3 प्रतिशत के अनुमान से थोड़ा कम है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.1.2024)

छतों पर सोलर प्लेट लगाने का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू होगा

• 2 वर्षों में बिहार के सभी सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट लगेंगे • देश में इकलौता राज्य बिहार है जहाँ सरकारी भवनों की छतों पर लगाए जा रहे सोलर प्लेट • संबंधित संस्थान की ऊर्जा जरूरतों को सोलर बिजली से पूरा करने की योजना

बिहार देश के लिए एक बार फिर नजीर साबित हुआ है। सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू होने जा रहा है। केन्द्र सरकार ने बिहार में चल रही इस योजना को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों को आवश्यक निर्देश दिया है।

पिछले दिनों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश भर के ऊर्जा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बिहार से ब्रेडा (बिहार रिन्यूएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी) के वरीय अधिकारी शामिल हुए। मंत्रालय के सचिव भूपिन्दर सिंह भल्ला ने छतों पर लग रहे सोलर प्लेट योजना की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने बिहार में चल रही योजना की विस्तृत जानकारी ली। बिहार के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। सचिव ने बिहार सरकार की इस पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा की और देश के अन्य राज्यों को कहा कि वह बिहार की इस योजना का अनुसरण करें। उन्होंने सभी राज्यों को कहा कि वे भी अपने यहाँ सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाएँ ताकि उस संस्थान की जरूरतों को सोलर बिजली से पूरा किया जा सके।

937.50 करोड़ खर्च किए जा रहे : सरकारी व निजी आवासीय भवनों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना पर 937.50 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर अब तक 159 करोड़ से अधिक राशि ब्रेडा को उपलब्ध करायी जा चुकी है। ब्रेडा की मांग पर ऊर्जा विभाग ने हाल ही में 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। इस योजना के तहत एक से 500 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट सरकारी भवनों में लगाये जा रहे हैं।

"बिहार ने देश को पहले भी कई मॉडल दिए हैं। हर घर बिजली कनेक्शन सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ। देश में इसे सौभाग्य योजना के नाम से लागू किया गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में भी देश बिहार का अनुसरण कर रहा है। अब सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने की योजना में बिहार ने देश को राह दिखाई है।"

– बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री ऊर्जा, योजना एवं विकास विभाग

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.1.2024)

जीएसटी शिकायत निवारण समिति में चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए

जीएसटी शिकायत निवारण समिति, बिहार (GST Grievance Redressal Committee, Bihar) की एक बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2024 को जीएसटी भवन के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित हुई।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से कार्यकारिणी सदस्य श्री अभिजीत बैद शामिल हुए।

बड़े व्यापारियों को देना पड़ सकता है यूपीआइ भुगतान के लिए शुल्क

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) के प्रमुख दिलीप अस्बे ने कहा कि बड़े व्यापारियों को अगले तीन साल में यूपीआइ-आधारित भुगतान के लिए उचित शुल्क देना पड़ सकता है। एनपीसीआइ के सीइओ व एमडी ने एक कार्यक्रम में कहा कि वर्तमान में हमारा पूरा ध्यान नकदी के लिए एक व्यावहारिक भुगतान विकल्प प्रदान करना और यूपीआइ को स्वीकार्यता बढ़ाने पर केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि हलांकि भविष्य में और इनोवेशन अधिक लोगों को जोड़ने और 'केशबैक' जैसे प्रोत्साहनों के लिए बहुत अधिक धन की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि अन्य 50 करोड़ लोगों को व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत है। एनपीसीआइ प्रमुख ने कहा, दीर्घकालिक नजारिये से एक उचित शुल्क लगाया जायेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 5.1.2024)**

5% वैट कम होने पर सीएनजी 87.04 से घट 82.69 जबकि पीएनजी 56.88 की जगह 54.03 रु. किलो मिलेगी

सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमत होगी कम, गेल ने बिहार सरकार को 5 प्रतिशत वैट घटाने का दिया प्रस्ताव.... 60 हजार परिवारों को होगा लाभ

पटना में सीएनजी वाहनों की संख्या 40 हजार और पीएनजी कनेक्शन 50 हजार हैं

पटना में लोगों को सीएनजी दिल्ली से भी महंगी मिल रही है। वजह दिल्ली में सीएनजी पर वैट नहीं लगता जबकि पटना में 20% वैट लिया जा रहा है। सीएनजी पर सबसे अधिक वैट लेने वाले राज्यों में आंध्रप्रदेश टॉप पर है तो बिहार का पटना दूसरे नंबर पर है। आंध्रप्रदेश में सीएनजी पर 23% वैट लिया जाता है। अगर पड़ोसी राज्य झारखंड में 14% और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10% वैट है। पटना में सीएनजी और पीएनजी को बढ़ावा देते के लिए गेल कंपनी ने बिहार सरकार को करीब 5% वैट घटाने का प्रस्ताव दिया है।

सरकार अगर इस प्रस्ताव की मंजूरी देती है तो करीब 60 हजार से अधिक परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राजधानी में 5% वैट कम होने पर सीएनजी 4.35 रु. और पीएनजी पर प्रति किलो 2.85 रुपए की बचत होगी। पटना में सीएनजी की कीमत 87.04 प्रति किलो से घटकर 82.69 हो जाएगी। जबकि पीएनजी 56.88 प्रति किलो से घटकर 54.03 हो जाएगी।

इन स्थानों पर सीएनजी स्टेशन रूकनपुरा, दीघा, दानापुर, कंकड़बाग, बाइपास, बीहटा, नौबतपुर, मसौढ़ी, परसा बाजार, बाइपास भुतनाथ, बाढ़, फतुहा, बख्तियारपुर, ट्रांसपोर्ट नगर, जीरो माइल और गोला रोड एक-एक सीएनजी स्टेशन चालू है।

यह भी जानिए : • 35000 सीएनजी ऑटो • 5000 सीएनजी मोटर कार • 150 से अधिक सीएनजी बस • 17000 घरों में पीएनजी से खाना बन रहा है • हर दिन एक लाख किलो सीएनजी की खपत

जानिए कहाँ कितना वैट : • आंध्र - 23 प्रतिशत • पटना - 20 प्रतिशत • झारखण्ड - 14 प्रतिशत • यूपी - 10 प्रतिशत • महाराष्ट्र - 3 प्रतिशत • दिल्ली - 0 प्रतिशत **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 1.1.2024)**

1233 पावर सब स्टेशनों की खाली जमीन पर भी लगेंगे सोलर प्लेट

सूबे के 1233 विद्युत पावर सब स्टेशनों की खाली जमीन पर भी सोलर प्लेट लगाये जायेंगे। इनमें 625 पावर सब स्टेशन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जबकि 608 पावर सब स्टेशन साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधीन हैं। बिजली कंपनी ने इस पर काम शुरू कर दिया है।

कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि राज्य की कुल बिजली आपूर्ति में 17 फीसदी नवीकरणीय ऊर्जा की अनिवार्यता है, जिसमें 10 फीसदी सिर्फ सोलर ऊर्जा आवश्यक है। इसको देखते हुए सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिजली कंपनियों ने सब स्टेशनों की खाली जमीन पर भी सोलर प्लेट लगाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार अगर हर सब स्टेशन में एक किलोवाट भी बिजली उत्पादित होगी, तो राज्य में 1233 किलोवाट बिजली उत्पादित हो जायेगा।

पावर सब स्टेशनों में उत्पादित होने वाली सोलर बिजली का उपयोग वहाँ की दैनिक कार्य में किया जायेगा। इससे राज्य के सब स्टेशनों में खपत होने वाली बिजली में कमी आयेगी। साथ ही बिहार में सोलर बिजली का कोटा भी बढ़ जायेगा। गौरतलब है कि इससे पहले पनबिजली इकाइयों के खाली परिसर में भी सोलर बिजली उत्पादित करने की योजना पर काम चल रहा है। इन सभी योजनाओं पर इस साल काम शुरू हो जायेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 9.1.2024)**

एचटीएसएस श्रेणी में नहीं मिलेगा लोड फैक्टर प्रोत्साहन

सूबे में एचटीएसएस (हाइ टेंशन स्पेशिफाइड सर्विस) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को लोड फैक्टर प्रोत्साहन (इन्सेंटिव) नहीं मिलेगा। बिजली कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सैंपी टैरिफ याचिका में इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले प्रोत्साहन को वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि, एचटीआइएस यानी हाइटेंशन औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलता रहेगा। आयोग जनसुनवाई के बाद इस पर अंतिम निर्णय लेगा।

फायदा के बजाय कंपनियों को हुआ नुकसान : बिजली कंपनियों ने बताया कि सिस्टम में दक्षता को बढ़ावा देने और बिजली की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 2022 में आयोग ने 60 फीसदी से अधिक लोड फैक्टर वाले

बिहार विद्युत विनियामक आयोग की जन सुनवाई में चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए

बिहार विद्युत विनियामक आयोग की जन सुनवाई दिनांक 24 जनवरी, 2024 को समाहरणालय सभा कक्ष में बिहारशरीफ में आयोजित हुई।

इस जन सुनवाई में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से कार्यकारिणी सदस्य श्री रवि कुमार गुप्ता एवं सम्मानित सदस्य श्री निशांत सिंह शामिल हुए।

एचटीएसएस के साथ एचटी औद्योगिक श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं के लिए लोड फैक्टर प्रोत्साहन की अनुमति दी थी, लेकिन यह देखा गया है कि 2023-24 के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितम्बर 2023) में हुई खपत 2022-23 के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितम्बर 2022) के मुकाबले कोई वृद्धि नहीं हुई है। वहीं, वितरण कंपनियों ने प्रोत्साहन राशि का अधिक भुगतान किया। इसको देखते हुए डिस्कॉम्स ने एटीएसएस के लिए लोड फैक्टर प्रोत्साहन को वापस लेने का प्रस्ताव दिया है।

औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को तीन स्लैब में मिलेगा लाभ : एचटी औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित लोड फैक्टर प्रोत्साहन तीन स्लैब में है। बिलिंग माह के दौरान औसतन 30 फीसदी और 50 फीसदी लोड फैक्टर तक बिजली खपत के लिए ऊर्जा शुल्क पर 10 पैसे प्रति यूनिट, 50 फीसदी से अधिक और 70 फीसदी तक लोड फैक्टर खपत के लिए ऊर्जा शुल्क पर 20 पैसे प्रति यूनिट और 70 फीसदी से अधिक और 100 फीसदी लोड फैक्टर तक बिजली खपत के लिए ऊर्जा शुल्क पर 30 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जायेगी।

ऑक्सीजन निर्माताओं के लिए 65 फीसदी से अधिक और 75 फीसदी लोड फैक्टर तक ऊर्जा शुल्क पर 10 पैसे प्रति यूनिट, जबकि 75 फीसदी लोड फैक्टर से अधिक खपत के लिए ऊर्जा शुल्क पर 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट का प्रस्ताव दिया गया है। **(साभार : प्रभात खबर, 8.1.2024)**

उद्योगों के लिए शाम में महंगी दिन में मिलेगी सस्ती बिजली

बिजली कंपनी ने टीओडी टैरिफ में बदलाव का प्रस्ताव आयोग को दिया

• बिहार विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी मिलने पर लागू होगा यह नियम • एक अप्रैल से राज्य में नया टीओडी टैरिफ लागू हो जाएगा

अब रात के बदले दिन में उद्योग चलाने पर उद्योगपतियों को सस्ती बिजली मिलेगी, जबकि शाम में उद्योग चलाने पर महंगी बिजली मिलेगी। रात में उद्योग चलाने पर उद्योगपतियों को सामान्य बिजली दर का भुगतान करना होगा। बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपी गई याचिका में टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ में बदलाव का यह प्रस्ताव दिया है। आयोग की मंजूरी मिलने पर आगामी एक अप्रैल से राज्य में नया टीओडी टैरिफ लागू हो जाएगा।

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अभी सुबह नौ से पाँच के बीच उद्योग चलाने पर उद्योगपतियों को सामान्य बिजली दर का भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि रात 11 से नौ बजे सुबह के बीच उद्योग चलाने पर मात्र 85 फीसदी ही बिजली दर वसूली जा रही है। शाम पाँच बजे से रात 11 बजे तक उद्योग चलाने पर उद्योगपयिों को 120 फीसदी बिजली दर का भुगतान करना पड़ रहा है। कंपनी ने टीओडी टैरिफ के इस संरचना में बदलाव करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने टीओडी टैरिफ में बदलाव के साथ ही उद्योगपतियों को सस्ती बिजली भी देने का निर्णय लिया है। दिन में नौ बजे से शाम पाँच बजे तक उद्योग चलाने वालों को मात्र 80 फीसदी ही बिजली दर का भुगतान करना होगा। शाम पाँच से रात 11 बजे के बीच उद्योगपतियों को 120% बिजली दर का भुगतान करना होगा। रात 11 से सुबह नौ के बीच उद्योग चलाने वालों को सामान्य बिजली दर का भुगतान करना होगा।

उद्योगपतियों को मिलेगा अनुदान : बिजली कंपनी ने उद्योगपतियों को अनुदान देने का निर्णय लिया है। कंपनी की और से सौंपे गए प्रस्ताव के अनुसार अगर अपने लोड के अनुसार औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता 30 से 50 फीसदी के बीच बिजली खपत करते हैं तो उन्हें 10 पैसे प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा। वहीं अगर कोई उपभोक्ता 50 से 70 फीसदी के बीच बिजली उपभोग करेंगे तो उन्हें 20 पैसा प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा। जबकि लोड क्षमता के अनुसार 70 फीसदी से 100 फीसदी तक बिजली उपभोग करने वाले एचटी उपभोक्ताओं को 30 पैसे प्रति यूनिट का अनुदान दिया जाएगा।

एक नजर में टीओडी टैरिफ

समय	अभी है	एक अप्रैल से होगा
सुबह नौ से शाम पाँच बचे	100 प्रतिशत	80 प्रतिशत
शाम पाँच से रात 11बजे	105 प्रतिशत	120 प्रतिशत
रात 11 से सुबह नौ बजे	85 प्रतिशत	100 प्रतिशत

टीओडी में होता है यह : टीओडी टैरिफ में एचटी श्रेणी के उपभोक्ताओं को कंपनी रियायत देती है। टीओडी के तहत अगर कोई उपभोक्ता 100 रुपए की बिजली उपभोग करेंगे तो उनसे ऑफ पीक पीरियड में 80 रुपए ही देने होंगे, जबकि पीक पीरियड में अगर कोई एचटी उपभोक्ता 100 रुपए की बिजली उपभोग करेंगे तो उन्हें 120 रुपए भुगतान करने होंगे। सामान्य स्थिति में उपभोक्ताओं को 100 रुपए खपत करने पर 100 रुपए ही भुगतान करने होंगे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 3.1.2024)

नेपाल और भारत के बीच बिजली क्षेत्र में हुआ करार

विदेश मंत्री एस जयशंकार की हिमालयी राष्ट्र की दो दिन की यात्रा के दौरान भारत और नेपाल ने एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात की सुविधा मिलेगी।

जयशंकर और नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत की उपस्थिति में यहाँ एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान बिजली निर्यात पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेपाल के ऊर्जा सचिव गोपाल सिगडेल और उनके भारतीय समकक्ष पंकज अग्रवाल ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे अगले 10 साल में नेपाल से भारत में 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात की सुविधा मिलेगी।

प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बिजली निर्यात पर सहमति बनी थी। प्रचंड पिछले साल 31 मई से तीन जून तक भारत यात्रा पर आए थे। उस समय दोनों पक्षों ने कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें पड़ोसी देश से नई दिल्ली के बिजली आयात को अगले 10 वर्षों में मौजूदा 450 मेगावाट से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करने का समझौता

चैम्बर ने भूतपूर्व अध्यक्ष स्व० खेमचंद चौधरी की 49वीं पुण्य तिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किया

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 14 जनवरी 2024 को चैम्बर के भूतपूर्व अध्यक्ष स्व. खेमचंद चौधरी कि 49वीं पुण्य तिथि के अवसर पर सदस्यों एवं उनके परिजनों ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कीर्तित्व को याद किया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बताया कि स्व. चौधरी 14 जनवरी 1975 को चैम्बर की ओर से जरुरतमंदों के बीच कम्बलों का वितरण करने कार से दरभंगा जा रहे थे, उसी क्रम में रास्ते में कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी थी। उस समय से लगातार 14 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि मनाकर उन्हें याद किया जाता है।

श्री पटवारी ने कहा कि स्व. चौधरी चैम्बर के काफी सक्रिय एवं समर्पित सदस्यों में से थे और चैम्बर के महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था।

श्रद्धांजलि सभा में पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय के साथ-साथ श्री मुकेश जैन, श्री एन. के. ठाकुर, श्री राजा बाबू गुप्ता, श्री अजय कुमार, श्री राकेश कुमार, श्री पवन भगत, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री श्याम सुन्दर हिसारिया, श्री विकास कुमार, श्री आलोक पोद्दार, श्री गणेश खेमका, श्री मुकेश कुमार, श्री उमा शंकर प्रसाद वर्मा, श्री ए. एम. अंसारी, श्री राजेंद्र अग्रवाल, एवं स्व. चौधरी के परिजन श्री अमर चौधरी, श्री उत्तम चौधरी, सुश्री प्रीती चौधरी, डॉ. सी. के. खंडेलवाल तथा श्रीमती पूनम खंडेलवाल सम्मिलित हुए।

भी शामिल था। जयशंकर की नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित शीर्ष राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करने की भी योजना है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 5.1.2024)**

नहीं बेच सकेंगे बिना बीआइएस मार्क वाला बिजली का सामान

सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने तथा इन वस्तुओं की घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 'स्विच-साकेट-आउटलेट' और 'केवल ट्रेंकिंग' जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवता मानदंड जारी किए हैं। इस संबंध में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्याहार विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार इन वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) का चिह्न न हो।

डी.पी.आई.आई.टी. ने कहा कि यह आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद लागू होगा। लघु कुटीर एवं मझोले (एमएसएमई) उद्योगों को आदेश के अनुपालन में छूट दी गई है। छोटे उद्योगों को नौ महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है, जबकि सूक्ष्म उद्यमों को 12 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बीआइएस अधिनियम के प्रविधानों का उल्लंघन करने पर पहली बार अपराध करने पर दो साल तक की कैद या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। **(साभार : दैनिक जागरण, 6.1.2024)**

जनवरी के बाद सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, तीसरी तिमाही के परिणामों के बाद तेल कंपनियाँ इस बारे में लेंगी फैसला

अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमतें 77 डालर प्रति बैरल (पिछले छह महीने का सबसे न्यूनतम स्तर) पर हैं तो पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमत में राहत को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। केन्द्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी एक तरफ तो यह कहते हैं कि खुदरा कीमत घटाने को लेकर तेल कंपनियों से कोई बात नहीं हो रही और इस बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि एक अन्य सवाल के जवाब में वह यह भी कहते हैं कि सरकारी तेल कंपनियाँ (ओएमसी) तीसरी तिमाही के परिणाम के बाद इस बारे में फैसला कर सकती हैं। इंडियन आयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (एचपीएसीएल) और भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) इस महीने के अंत में अपने वित्तीय परिणामों (अक्टूबर से दिसम्बर, 2023) का एलान करेंगी।

बाजार के विश्लेषक मानकर चल रहे हैं कि इन कंपनियों को एक बार फिर जोरदार मुनाफा होगा। वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में इस कंपनियों ने जबरदस्त मुनाफा कमाया है।

"पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाने या बढ़ाने को लेकर सरकार की तेल कंपनियों से कोई बात नहीं हो रही है। इस बारे में तेल कंपनियों को स्वयं ही फैसला करना है। तीसरी तिमाही के परिणामों के बाद तेल कंपनियाँ स्वयं फैसला लने की स्थिति में होंगी।" **– हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्री**

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 4.1.2024)

पटना को जल स्रोतों की सफाई व कचरा मुक्त शहर के लिए मिला अवॉर्ड

दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना को स्वच्छता में स्टेट रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण में वाटर प्लस के लिए पटना को पहली बार चयनित किया गया है और इसे वाटर प्लस और कचरामुक्त शहर (जीएफसी) में वन स्टार रैंक मिला है। हालांकि, एक लाख से अधिक आबादी वाले देश के 446 शहरों में पटना इस बार ओवरऑल 77वें स्थान पर है, जबकि कुल 4477 शहरों (एक लाख से कम व अधिक आबादी वाले) में 262वें स्थान पर है। बीते वर्ष इसका ओवरऑल 38वां स्थान था।

हालांकि उस सर्वे में देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहर ही शामिल थे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) की बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष सम्मिलित हुए

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) की 52वीं बैठक दिनांक 16 जनवरी 2024 को श्री विवेक कुमार सिंह, भा. प्र. से., विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष, पुराना सचिवालय में हुई। इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर शमिल हुए।

पटना को यह अवार्ड दिया और नगर निगम की ओर से मेयर सीता साहू के नेतृत्व में गयी टीम ने इसे प्राप्त किया, जिसमें नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर, डिप्टी मेयर रेशमी कुमारी, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ. आशीष सिन्हा, इंद्रदीप चंद्रवंशी आदि शामिल थे।

पहली बार सफाईकर्मी भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने दिल्ली पहुँचे : सफाईकर्मियों को भी पहली बार अवार्ड वितरण कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए दिल्ली ले जाया गया। मौके पर मेयर सीता साहू ने सफाई कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे दिन-रात पटना की स्वच्छता में अपना योगदान देते हैं। डिप्टी मेयर रेशमी कुमारी ने कहा कि सबके सम्मिलित प्रयास से ही पटना को यह उपलब्धि प्राप्त हुई है।

स्वच्छता रिपोर्ट कार्ड : • डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन : 98 प्रतिशत • सोर्स सेंग्रीगेशन : 28 प्रतिशत • वेस्ट प्रोसेसिंग : 66 प्रतिशत • पुराने कचरे का बायो रेमिडेशन : 40 प्रतिशत • आवासीय क्षेत्र में साफ-सफाई : 99 प्रतिशत • व्यावसायिक क्षेत्र में साफ-सफाई : 99 प्रतिशत • वाटर बॉडीज सफाई व्यवस्था : 100 प्रतिशत • पब्लिक टॉयलेट की सफाई व्यवस्था : 90 प्रतिशत

(विस्तृत : प्रभात खबर, 12.1.2024)

दुमका के लिए रोज चलेगी इंटरसिटी

पटना से दुमका के बीच जमालपुर होकर नयी ट्रेन का परिचालन दिनांक 24.1.2024 से आरंभ हो गया। 13334 डाउन पटना-दुमका एक्सप्रेस प्रतिदिन चलेगी और पटना जंक्शन से प्रात: 6:40 बजे रवाना होने के बाद अपराह्न 13. 30 बजे दुमका पहुंचेगी। जबकि दुमका से 13333 अप ट्रेन प्रतिदिन दुमका से 14.05 बजे रवाना होगी और 17:48 बजे जमालपुर पहुंचेगी। ट्रेन रात्रि 21.45 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।

पटना से यह ट्रेन प्रतिदिन सुबह 6.40 बजे दुमका के लिए रवाना होगी और 6.48 बजे राजेन्द्र नगर, 7.26 बजे बख्तियारपुर, 7.38 बजे बाढ़, 8.49 बजे किऊल, 9.15 बजे अभयपुर और 9.40 बजे जमालपुर पहुंचेगी। जमालपुर में 2 मिनट रूकने के बाद ट्रेन 10.06 बजे सुल्तानगंज, 11.05 बजे भागलपुर, 12.06 बजे बाराहाट, 12.43 बजे हंसडीहा, अपराह्न 13.00 बजे नोनीहाट, 13.14 बजे बड़ापलासी और अपराह्न 13.30 बजे दुमका पहुंचेगी। वहीं दुमका से ट्रेन 14.05 बजे पटना के लिए रवाना होगी। जो 14.19 बजे हंसडीहा, 15.34 बजे बाराहाट, 16.32 बजे भागलपुर, 17.03 बजे सुल्तानगंज और संध्या 17.48 बजे जमालपुर पहुंचेगी। जमालपुर में 2 मिनट रूकने के बाद ट्रेन 18.14 बजे अभयपुर, 14.47 रात्रि 20.03 बजे बख्तियारपुर और 20.50 बजे राजेन्द्र नगर टर्मिनल पहुंचने के बाद 21.45 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 25.1.24)**

दो राज्यों के 61 नये मार्गों पर चलेंगी 121 बसें

बिहार-यूपी और बिहार-झारखण्ड के 61 खाली मार्गों पर जल्दी ही 121 बसें चलायी जायेंगी, यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवा देने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) मोड में इन बसों को चलाने की योजना बनायी है। इसको लेकर जल्द ही आवेदन मांगा जायेगा।

लोगों को होगी सहूलियत : निजी भागीदारी से चलने वाली बसों से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। यह निर्णय विभागीय समीक्षा और जिलों से मिली खाली मार्गों सूची के बाद लिया गया है। विभाग ने जुलाई में सभी जिलों से नये मार्गों पर बसों का परिचालन शुरू करने के लिए रिपोर्ट मांगी थी।

इन मार्गों पर शुरू होगी बस सेवा : विभाग के मुताबिक बिहार-अंतर्क्षेत्रीय मार्ग पर चेनारी-पटना के लिए दो, बेसरिया-मुजफ्फरपुर के लिए एक समस्तीपुर-पटना के लिए एक, कटैया-पटना के लिए एक, बेतिया-पटना के लिए एक, पूर्णिया-भागलपुर के लिए तीन, पूर्णिया-पटना के लिए एक, नवादा-बिहारशरीफ के लिए दो, गोह- पटना के लिए एक, पटना-बख्तियापुर के लिए दो, गया-हसनपुर के लिए एक, पटना-पाली के लिए दो सहित अमरपुर-पटना, पीपाराही-जयनगर, जयनगर-बलुआ बाजार, कौआकोल-मुंगेर, कुपहा-दरभंगा बस स्टैंड, घोघरडीहा-पटना, पटना-सासाराम रूट पर बसें चलायी जायेंगी। इसी तरह बिहार-यूपी मार्ग पर गोरखपुर-छपरा, रक्सौल-गोरखपुर भाया मोतिहारी, रक्सौल-गोरखपुर भाया गोपालगंज कसया सहित बिहार-झारखण्ड के गया-टाटा, गया-बोकारो, जमुई-टाटा, गया-देवघर, गया-धनबाद, बिहारशरीफ-बोकारो, नवादा-राँची, पटना- हजारीबाग, पटना-राँची, पटना-देवघर, पटना-दुमका, रक्सौल-टाटा, नवादा-हजारीबाग के विभिन्न मार्गों पर बसों का परिचालन शुरू होगा। **(साभार : प्रभात खबर, 3.1.2024)**

बिहार-बांग्लादेश के बीच जलमार्ग से व्यापार होगा आसान

बिहार से बांग्लादेश के लिए खाद्य सामग्री, स्टोन चिप्स समेत अन्य सामानों का जलमार्ग से आयात व निर्यात करना बेहद कम समय में आसान और सस्ता हो जाएगा। इसके लिए भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की पहल पर भारत के बहरमपुर स्थित मैया में गंगा-पद्मा नदी तट पर एक निजी कंपनी द्वारा व्यवस्था विकसित की जा रही है। यहां से बांग्लादेश के सुल्तानगंज बंदरगाह तक मालवाहक जहाजों की आवाजाही जल्द ही शुरू होगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े गए स्थल के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच की जलमार्ग दूरी आठ सौ किलोमीटर से घट कर महज 19 किलोमीटर रह गई है। यह जानकारी आइडब्लूएआइ पटना के निदेशक एल. के. रजक ने दी।

उन्होंने बताया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, कोलकाता समेत अन्य राज्यों को अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ने वाले मैया स्थल पर कस्टम स्टेशन बनाया गया है। कई कंपनियां यहां से जहाज परिचालन की तैयारी में जुटी हैं। इस जलमार्ग पर नियमित ड्रेजिंग किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। नयी व्यवस्था शीघ्र काम करने लगेगी। निदेशक ने बताया कि बिहार में पटना के गायघाट स्थित बंदरगाह से बनारस और कोलकाता के बीच गंगा जलमार्ग से पर्यटक एवं मालवाहक जहाजों की आवाजाही बढ़ गयी है। इसी मार्ग से मालवाहक जहाज गंगा के रास्ते फरक्का तक पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से भारत के बहरमपुर मैया स्थित गंगा-पद्मा के तट पर विकसित हो रहे स्थल तक पहुंचेगा। माल लदा जहाज गंगा-पद्मा के रास्ते बांग्लादेश के सुलतानगंज स्थित बंदरगाह तक महज उन्नीस किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंच जाएगा। इस मार्ग से आयात-निर्यात में समय के साथ रुपए की भी बचत होगी। निदेशक ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर आयात-निर्यात करने के लिए कस्टम की आवश्यकता होती है। पटना के गायघाट स्थित बंदरगाह यह व्यवस्था नहीं है। **(साभार : दैनिक जागरण, 9.1.2024)**

PT.GPO/R-10/NP-15/2017-19 R. N. 4211/62

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) एवं निदेशक पर्षद (Board of Directors) की बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष शामिल हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) एवं निदेशक पर्षद (Board of Directors) की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024 को श्री संदीप पौंडरिक, भा.प्र.से. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में हुई जिसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

नहीं चलेगी ड्यूटी में लापरवाही

ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर लगेगा कैमरा, नहीं कर सकेंगे कोई गड़बड़ी

ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर कैमरा लगेगा। परिवहन विभाग द्वारा ट्रैफिक पुलिस को बॉडी वॉर्न कैमरा दिया जाएगा। कैमरे द्वारा होने वाली रिकॉर्डिंग सीधे उसी में इकट्ठा होगी। इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। कोई जवान फुटेज को डिलीट करना चाहता है या उसे छिपाना चाहता है तो ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं होगा। परिवहन विभाग के मुताबिक जुलाई से राज्य के सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को इस कैमरे से लैस किया जाएगा। पहले चरण में करीब 3000 कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जवानों की गतिविधियां कैमरे में कैद होती रहेंगी। इससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी। वाहन चालकों और जवानों के बीच अक्सर होने वाली नोक-झोंक बंद होगी। कई बार ट्रैफिक पुलिस के जवान ड्यूटी छोड़कर आपस में गपशप करते रहते हैं, जाम लगने के दौरान भी गायब रहते हैं, यह भी आरोप लगता है कि वाहन जांच के दौरान पैसा ले लिया है, लेकिन रसीद नहीं दी जाती है। कैमरा लगने पर ऐसा नहीं कर सकेंगे। कैमरा उनकी सारी पोल खोल देगा।

क्या है बॉडी वॉर्न कैमरा : बॉडी वॉर्न कैमरा छोटा-सा डिवाइस होता है। इसे वर्दी पर कंधे के पास लगाया जाता है। इस कैमरे में लेंस लगा होता है, जिसे चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। यानी, किसी भी एंगल से रिकॉर्डिंग हो सकती है। कैमरे का डाटा 15 दिन तक स्टोर हो सकता है। इन कैमरों को जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) और जीपीआरएस (जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस) द्वारा सीधे कंट्रोल रूम से जोड़ा जा सकेगा। वहां बैठे अधिकारी जवान की गतिविधि ऑनलाइन देख सकेंगे। **(साभार : दैनिक भास्कर, 8.1.2024)**

22 लाख कामगारों का आधार सत्यापन हुआ शुरू

श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर के 22 लाख निर्बंधित कामगारों के आधार का सत्यापन शुरू कर दिया है। ये सभी कामगार बिहार भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से निबंधित हैं।

अधिकारियों के मुताबिक डुप्लीकेसी (नकल) रोकने के लिए विभाग ने यह निर्णय अक्टूबर में लिया था, जिसके बाद अब आधार सत्यापन के तहत सभी कामगारों का बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू किया गया है, ताकि सही निर्बंधित कामगार का पता चल सके। निर्बंधित कामगार के बदले किसी और ने उनके आधार का उपयोग नहीं किया है। इसकी पहचान हो पायेगी। पिछले कुछ महीनों में निबंधन में फर्जीवाड़ा की शिकायत विभाग तक पहुँची है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 2.1.2024)

महत्वपूर्ण सूचना

वित्तीय वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 में यदि आपने करों का भुगतान नहीं किया या कम भुगतान किया या भूलवश इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया है तो उसके वसूली के लिए तिथि का विस्तार निम्न रूप में किया गया है :-

i. **वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 30 अप्रैल, 2024 तक**
ii. **वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 31 अगस्त, 2024 तक**

उक्त संबंध में वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या- **एस.ओ.- 60 दिनांक 23 जनवरी, 2024** की प्रति सदस्यों के सूचनार्थ उनके ईमेल / व्हाट्सएप पर भेज दी गयी है। यदि किसी सदस्य को उक्त सूचना की प्रति चाहिये तो बिहार चैम्बर से संपर्क करें।

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हुतु आधारभूत संरचनागत, समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु बिहार पर्यटन नीति 2023 लायी गई है।

उक्त सम्बन्ध में पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना दिनांक 26 दिसम्बर 2023 की प्रति सदस्यों को सूचनार्थ भेजी जा चुकी है । यदि किसी सदस्य को उक्त अधिसूचना नहीं मिली हो तो, चैम्बर से सम्पर्क करें।

निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि (यथा 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत) के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य संविदा से संबंधित भुगतान हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

उक्त संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट **अधिसूचना संख्या- एम्-4-10/2023-674/वि० दिनांक 22 जनवरी, 2024** की प्रति सदस्यों के सूचनार्थ उनके ईमेल / व्हाट्सएप पर भेज दी गयी है। यदि किसी सदस्य को उक्त सूचना की प्रति चाहिये तो बिहार चैम्बर से संपर्क करें।

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296